

कार्यालय अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नं. 0141-2702818

ई-मेल: pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in

F 2()Wild Boar/WLM/CWLW/2026/E-File-04404/

Jaipur, Dated:- As Per Sign

—::आज्ञा::—

राज्य सरकार के पत्रांक: एफ 11 (12)वन/98 दिनांक 31.03.1998, समसंख्यक पत्र : एफ 11 (12)वन/98 दिनांक 31.08.1998 एवं इस कार्यालय के आज्ञा: एफ 3 (465) तक. /मुवजीप्र/97/9919 दिनांक 01.08.1998, पत्रांक:एफ 3 (465) तक./मुवजीप्र/97/15060 दिनांक 10.11.1998 तथा आदेश क्रमांक: एफ 3 (465) तक./मुवजीप्र/97/12445 दिनांक 30.09.2004 का अधिल्लंघन करते हुए राज्य सरकार द्वारा अपने पत्रांक राजकाज रेफरेंस 22682638 दिनांक 16.07.2026 से दी गई पुर्वानुमति के अनुसरण में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जंगली सूअरों (Wild Pig) (*Sus scrofa*) के संदर्भ में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 11(ब) में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन समस्त पदेन वन्यजीव प्रतिपालक {उप वन संरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) एवं उप क्षेत्र निदेशक} को किया जाता है।

आज्ञा से

(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,

राजस्थान

F 2()Wild Boar/WLM/CWLW/2026/E-File-04404/

Jaipur, Dated:- As Per Sign

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)।
4. समस्त जिला कलेक्टर.....
5. समस्त उप वन संरक्षक.....
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,

राजस्थान
Document Certified by KOTTAPATTU
CHINNAPPANALBERT ARUN PRASAD
<kcaarunifs@gmail.com>.

Digitally Signed by kotapatu
chinnapan albert arun prasad
Designation : Additional Principal
Chief Conservator of Forest
Date :17-07-2026 11:16:33

RajKaj Ref No.:
22684792

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प-11(12)वन/1998

जयपुर, दिनांक:

अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।

विषय:- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5(2) के अन्तर्गत जंगली सुअरों को मारने की अनुमति हेतु उप वन संरक्षको को प्राधिकृत करने के संबंध में।

संदर्भ:-आपकी एकल ई-पत्रावली क्रमांक ,एफ 16(04)Wild Pig Single File/WLM/CWLW/ 2026-04404-9254281

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपकी ,एकल ई-पत्रावली क्रमांक, एफ 16(04)Wild Pig Single File/WLM/CWLW/2026-04404-9254281 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5(2) के अनुसार समग्र प्रदेश में जंगली सुअरो (Sus scrofa) को मारने के संबंध में अधिकारों का प्रत्यायोजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(बिजो जॉय)

विशिष्ट शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्न का सूचनार्थ ,वं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव,